छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 504/2009

1. श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्राकार, — *अपीलार्थी*
मण्डीगेट, पाण्डे सॉ मिल के सामने,
पण्डरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 02 नवंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार चन्द्राकर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय के समक्ष दिनांक 09.01.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन जन सूचना सूचना ने आदेश दिनांक 09.02.2009 के द्वारा निरस्त किया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.02.2009 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी दिनांक दिनांक 16.03.2009 को प्रथम अपील निरस्त कर दी, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.04.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अपीलार्थी ने उनके विरूद्ध जारी अभियोजन आदेश के संबंध में कुछ दस्तावेजों एवं नोटशीट की प्रति चाही थी, किन्तु अधिनियम की धारा–8(1)(ज) के अन्तर्गत आना मानकर जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने उक्त जानकारी प्रदान नहीं की है। अपीलार्थी का यह कहना है कि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अब यह जानकारी देने से अन्वेषण और अभियोजन में किसी प्रकार की बाधा पड़ने की संभावना नहीं है, अतः उन्हें यह जानकारी दी जाना चाहिए। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि धारा–8(1)(ज) अन्वेषण एवं अपराधी की गिरफ्तारी एवं पुलिस अभियोजन तक ही सीमित है और न्यायालयीन विचारण को अभियोजन की श्रेणी में मान्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी जब न्यायालय में प्रकरण में विचारण शुरू हो गया है तो वहॉ से अधिकांश जानकारी प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क ही अधिक सही प्रतीत होता है तथा प्रति अपीलार्थी का तर्क सही प्रतीत नहीं होता है, अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी देने से न्यायालय के विचारण में किसी प्रकार की बाधा पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी अब उन्हें 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com